न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
152/2020

तारीख दायर
11-09-2020

तारीख फैसला
17/05/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

——:: वादी

बनाम

01. रिछपाल
02. राजपाल
03. सतबीर पुत्रान अमरसिंह
04. महादेई पत्नी अमरसिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम नखडौला तहसील व जिला गुरूग्राम
05. धर्मसिंह
06. लक्ष्मीचन्द
07. अशोक कुमार पुत्रान मुन्शीराम जाति अहीर निवासीगण वजीराबाद तहसील व जिला गुरूग्राम
08. संजय गोयल पुत्र जयप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
09. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 2/9 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हर इंच पर

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

... नहीं हुआ है। ... मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 लगायत 7 की ओर से प्रदीप कुमार अधिवक्ता उपस्थित हुये को समुचित अवसर प्रदान करने पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके उपरान्त जवाब बन्द किया गया। शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वादी वकील ने वाद को प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 09-12-2021 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई। चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2022/5028 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण में कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार जर्ये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	220	0.1466	बारानी 2	0.58
02.	अशोक कुमार लखमीचन्द धर्मसिंह पि0 मुंशीराम हि0 489/1711 अहीर सा. वजीराबाद खातेदार महादेई पत्नी अमरसिंह राजपाल रिछपाल पि0 अमरसिंह हि0 1100/5133 अहीर सा. नखडोला खातेदार सतवीर पुत्र अमरसिंह अहीर 122/1711 सा. नखडोला खातेदार संजय गोयल पुत्र जयप्रकाश हि0 2200/5133 महाजन सा. टपूकडा खातेदार	220/1	0.5133	बारानी 2	2.03

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 152/2020 | तारीख दायर 11-09-2020 | तारीख फैसला 17/05/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

——: वादी

बनाम

01. रिछपाल
02. राजपाल
03. सतबीर पुत्रान अमरसिंह
04. महादेई पत्नी अमरसिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम नखडौला तहसील व जिला गुरुग्राम
05. धर्मसिंह
06. लक्ष्मीचन्द
07. अशोक कुमार पुत्रान मुन्शीराम जाति अहीर निवासीगण वजीराबाद तहसील व जिला गुरुग्राम
08. संजय गोयल पुत्र जयप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
09. श्रीमान तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

हाल आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार जर्ये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	220	0.1468	बारानी 2	0.58
02.	अशोक कुमार लखमीचन्द धर्मसिंह पि0 मुंशीराम हि0 489/1711 अहीर सा. वजीराबाद खातेदार महादेई पत्नी अमरसिंह राजपाल रिछपाल पि0 अमरसिंह हि0 1100/5133 अहीर सा. नखडौला खातेदार सतबीर पुत्र अमरसिंह अहीर 122/1711 सा. नखडौला खातेदार संजय गोयल पुत्र जयप्रकाश हि0 2200/5133 महाजन सा. टपूकडा खातेदार	220/1	0.5133	बारानी 2	2.03

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0